

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर  
पीठासीन अधिकारी-संजय शर्मा

अपील संख्या 103/2025

तारीख रजू 06.03.2025

रामफूल पुत्र पुन्या माली निवासी ग्राम सोनकच्छ, तहसील खण्डार ।

--- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार ।

--- रेस्पोंडेन्ट

उपस्थिति -

श्री मुकेश बसंत एडवोकेट

- अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व

- रेस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक 09.12.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 133/19 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सोनकच्छ के आराजी खसरा नम्बर 387/3 रकबा 2.00 बीघा किस्म चरागाह पर संवत् 2076 में जिंस जोत कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शासित आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए तीन माह (90 दिवस) के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलार्थी निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलार्थी आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थी की अनुपस्थिति में बिना सुनवायी के पारित किया गया है तथा पूर्व सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि सिद्धान्तों के विपरीत है तथा प्रार्थी को पश्चातवर्ती मानते हुए पारित किया गया है जबकि पश्चातवर्ती का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं एक मात्र पटवारी हल्का की इक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है लिहाजा अपील निर्णय जैसे बहस निरस्त होने योग्य है। यह कि अपीलार्थी का आराजी जैसे बहस अपील पर कोई कब्जा नहीं है ना ही भविष्य में कब्जा रहेगा हल्का पटवारी ने मौका देखे बिना उक्त रिपोर्ट की है इसलिये भी उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। वकील अपीलार्थी द्वारा अपील के समर्थन में कब्जा हटा लेने का शपथ पत्र एवं 2011(2) आर.आर.टी. 912, 2011(2) आर.आर.टी. 1163, 2013(2) आर.आर.टी. 843



अति. जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर


2014-15(Supp.) आर.आर.टी. 680 एवं 2014-15(Supp.) आर.आर.टी. 728 पेश की गई। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली एवं अपीलान्त द्वारा पेश की गई रूलिंग का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलाण्ट की तामील हुई है। बाद तामील अपीलान्त नियत दिनांक को अधिनस्थ न्यायालय में जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुए। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर हो जाती है। अपीलान्त द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के संबंध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्त का पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता हो। चूंकि, अपीलान्त ने विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने तथा भविष्य में अपीलान्त अथवा अपीलान्त के परिवार के कोई सदस्य द्वारा अतिक्रमण नहीं करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, इसलिए अपील अपीलान्त सजा की हद तक स्वीकार किया जाने योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्त अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त शपथ-पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्त को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावे। यदि भौतिक सत्यापन में अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड बहाल रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(संजय शर्मा)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर